न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निगरानी-3839/2018/विदिशा/भू.रा.

प्रकरण क्रमांक : /2018 पुनरीक्षण

श्री लखन सिंह धाकड़ एड.
द्वारा आज दि० 25/06/18 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 03/07/18 नियत।
25-6-18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

लोकेश यादव पुत्र श्री नरेन्द्रसिंह यादव
निवासी ग्राम अहमदपुर बिलौरी तहसील
व जिला विदिशा (म०प्र०) --- निगरानीकर्ता

- बनाम -

बैजनाथसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री धारूसिंह
जाति यादव निवासी ग्राम अहमदपुर
तहसील व जिला विदिशा (म०प्र०).

--- गैर-निगरानीकर्ता

25/06/18
लखन सिंह धाकड
एडवोकेट
नि. निवास कृष्णकुंज रमजण नगर यादव मार्केट
पीछे, सागर ताल चौराहा आनंद नगर के पास
बहोडापुर लश्कर ग्वालियर 474012
मोबा 9479512701,9827784308

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश दिनांक 17-05-2018 न्यायालय माननीय उपखण्डअधिकारी महोदय, विदिशा, प्रकरण क्रमांक-57/अपील/2017-18 वमामले बैजनाथसिंह -बनाम- लोकेश यादव, अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू-राजस्व संहिता 1959.

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय, विदिशा के न्यायालय में निगरानीकर्ता द्वारा इस आशय का आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम अहमदपुर बिलौरी के खातेदार स्वर्गीय श्री धारूसिंह थे जो खसरा नंबर 101 रकबा 0.157 हेक्टेयर, खसरा नंबर 105/3 रकबा 0.836 हेक्टेयर, खसरा नंबर 156 रकबा 4.182 हेक्टेयर, खसरा नंबर 195/3 रकबा 0.065 हेक्टेयर कुल रकबा 5.260 हेक्टेयर का खाता रहा है, और स्वर्गीय श्री धारूसिंह निगरानीकर्ता के दादाजी (बाबा) थे और जो निगरानीकर्ता व निगरानीकर्ता के परिवार के साथ रहते रहे हैं। निगरानीकर्ता द्वारा स्वर्गीय श्री धारूसिंह यादव की सेवा-खुशामद की और दादाजी धारूसिंह जी को निगरानीकर्ता से काफी स्नेह रहा है, और वह निगरानीकर्ता से प्रसन्न रहते थे, निगरानीकर्ता के बाबा श्री धारूसिंह पुत्र श्री मर्दनसिंह द्वारा वसीयतनामा दिनांक 29-07-2015 लिखवाकर, पढ़वाकर, सुन-समझकर समक्ष गवाहान निशानी अँगूठा कर उप-पंजीयक कार्यालय विदिशा में दिनांक 29-07-2015 को निष्पादित किया है। और श्री धारूसिंह

XXIX(a)-BR(H)-11

(294)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3839/2018/विदिशा/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। पेशी दिनांक **प्रशासकीय सदस्य**	